राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

निगरानी संख्या – 539/2014/अलवर

मै0 अरहम टेक्नोकास्ट प्रा0लि0
जरिए निदेशक श्री रोनक करनावट
न्यू देहली। .....प्रार्थी.

बनाम

1. उपपंजीयक भिवाडी, जिला अलवर
2- मै0 सांई एन्टरप्राईजेज मै0 सतपाल गोतम पुत्र प्रेमराज सिंह दिल्ली।
3- श्री सतपाल गोतम पुत्र प्रेमराज सिंह दिल्ली
4- श्री अरूणकुमार पुत्र प्रेमराजसिंह
5- श्री योगेन्द्र कुमार पुत्र प्रेमराज सिंह

.....अप्रार्थीगण.

एकलपीठ
श्री राकेश श्रीवास्तव – अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री नोरतमल जैन,
अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरना,
उपराजकीय अभिभाषक .....विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 07/10/2014

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। यह निगरानी कलेक्टर (मुद्रांक) अलवर (जिसे आगे 'कलेक्टर' कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 30.01.2012 के विरूद्ध व उपंजीयक द्वारा जारी नोटिस कमांक/कमी/राशि/13/69 दिनांक 22.01.2014 के विरूद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कुशखेडा स्थित एक औद्योगिक भूखण्ड जी–99 अप्रार्थी संख्या 2 मैसर्स सांई एन्टरप्राईजेज द्वारा रीको लि0 से लीज एग्रीमेन्ट के जरिये कय किया जाकर दिनांक 24.02.2010 को पंजीबद्ध कराया गया। तत्पश्चात् उपपंजीयक द्वारा इस दस्तावेज को कमी मालियत का मानते हुए दिनांक 21.07.2011 को अप्रार्थी संख्या 2 मैसर्स सांई एन्टरप्राईजेज को अन्तर मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क जमा कराने का नोटिस दिया गया। अप्रार्थी द्वारा अन्तर कर व शुल्क जमा नहीं कराने से उपपंजीयक द्वारा कलेक्टर के समक्ष रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया। जिसे कलेक्टर द्वारा प्रकरण संख्या 139/11 दिनांक 22.07.2011 को दर्ज कर अपने आदेश दिनांक 30.01.2012 से रेफरेन्स को उचित मानते हुए रेफरेन्स स्वीकार कर उपपंजीयक को वसूली करने हेतु प्रेषित कर दिया गया।

निगरानीकर्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 मै0 साई एन्टरप्राईजेज से विवादित भूखण्ड 24.01.2013 को खरीद कर पंजीयन हेतु उपपंजीयक के समक्ष पेश करने पर उपपंजीयक द्वारा दस्तावेज पंजीबद्ध कर प्रार्थी को लौटा दिया।

लगातार.....2

तत्पश्चात् उपपंजीयक द्वारा कलेक्टर के आदेश दिनांक 30.01.2012 की पालना में अन्तर मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क वसूली हेतु निगरानीकर्ता को दिनांक 22.01.2014 को नोटिस दिया गया। प्रार्थी द्वारा कलेक्टर के आदेश दिनांक 30.01.2012 तथा उपपंजीयक के नोटिस दिनांक 22.01.2014 से व्यथित होकर यह निगरनी मय स्थगन प्रार्थना पत्र पेश की गई।

निगरानी की ग्राहयता के बिन्दु पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी का कहना है कि कलेक्टर के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 मैसर्स सांई एन्टरप्राईजेज के विरूद्व प्रकरण संख्या 139/11 दर्ज कर कमी मुद्रांक व पंजीयन शुल्क की राशि बाबत् निर्णय दिनांक 30.01.2012 को पारित करते हुए मैसर्स सांई एन्टरप्राईजेज के विरूद्ध कमी मुद्रांक वसूली कायम की गई। निगरानीकर्ता द्वारा सम्पूर्ण भूमि मय औद्योगिक रूम मै0 साई एन्टरप्राईजेज से दिनांक 24.01.2013 को कय की गई है। उनका कथन है कि उपपंजीयक द्वारा कलेक्टर के आदेश दिनांक 30.01.2012 की अनुपालना में दिनांक 22.01.2014 को नोटिस जारी कर अन्तर मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क वसूली की कार्यवाही निगरानीकर्ता से की जा रही है, जो विधिविरूद्व है। जबकि यह राशि अप्रार्थी संख्या 2 मै0 साई एन्टरप्राईजेज से वसूल की जानी चाहिये। अतः कलेक्टर मुद्रांक के इस आदेश को निरस्त कर निगरानी को श्रवण योग्य माना जाकर स्वीकार करते हुए प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को भी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान विभागीय पैराकार का कथन है कि राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 65 के प्रावधानुसार माननीय कर बोर्ड में कलेक्टर के आदेश के विरूद्व ही निगरानी पेश की जा सकती है। हस्तगत प्रकरण में निगरानीकर्ता, कलेक्टर के समक्ष प्रार्थी/अप्रार्थी नहीं और न हीं क्रेता/विक्रेता है। विभागीय पैराकार का कथन है कि निगरानीकर्ता द्वारा केवल नोटिस के आधार पर ही माननीय कर बोर्ड के समक्ष निगरानी पेश की है, जबकि प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपने इस कथन के साथ प्रस्तुत निगरानी श्रवण योग्य नहीं होने से अस्वीकार किये जाने का निवदेन किया।

बहस सुनी गई। पत्रावली व रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम की धारा 65 का परन्तुक निम्नानुसार है :–

" 65. मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षण– (1) अधिनियम के अध्याय 4 और 5 तथा धारा 29 के प्रथम परन्तुक के खण्ड (क) और धारा 35 के अधीन **कलेक्टर द्वारा दिये गये आदेश से व्यथित** कोई व्यक्ति आदेश की तारीख से 90 दिन के भीतर भीतर ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिये मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को आवदेन कर सकता है। "

प्रावधानुसार कर बोर्ड में निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरूद्व तथा कलेक्टर के आदेश से व्यथित ही पुनरीक्षण हेतु आवेदन कर सकता है। चुंकि निगरानीकर्ता कलेक्टर के समक्ष न तो प्रार्थी था और न ही अप्रार्थी तथा न ही

लगातार.....3

केता/विकेता अर्थात निगरानीकर्ता कलेक्टर के आदेश से व्यथित नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा उपपंजीयक के नोटिस के विरूद्व निगरानी पेश की गई है, जो चलने योग्य नहीं है।

अतः राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 65 के आलोक में, निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी ग्रहण योग्य नहीं पाये जाने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(राकेश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष